तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या : पुराना 316/2021, नया 383/2024 सुरेन्द्र कुमार बनाम ओमप्रकाश वगै0 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10/02/25 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि राजस्व ग्राम छऊ तहसील गुढागौड़जी में हाल भूमि खसरा नं. 64 रकबा 1.80 है0 अवस्थित है जिसमें आवेदक का हिस्सा 11/180 है तथा शेष हिस्सा अनावेदकगण का है। सभी का अपने हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त है। आवेदक ने उक्त भूमि में से रास्ता प्रयोजन हेतु अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि दिनांक 18.01.2021 को खातेदार धारा सिंह पुत्र धूड़ा से जरिये रजिस्ट्रड विक्रय पत्र क्रय की थी, तभी से आवेदक अपनी क्रयशुदा भूमि में रास्ता कायम कर आवागमन कर रहा है। आवेदक ने अपने रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि के खाता विभाजन बाबत अनावेदकगण को कहा तो वे इन्कार हो गये तथा आवेदक को उक्त रास्ता भूमि पर संयुक्त खातेदारी की आड़ में निर्माण करने व उसको खुर्द बुर्द करने की धमकियां देने लगे। इस प्रकार बिना विधिवत विभाजन यदि स्थगन आदेश अपास्त कर दिया जाता है तो आवेदक का दावा दायर करने का औचित्य ही नहीं रहेगा तथा अनावेदकगण उक्त रास्ता भूमि को खुर्द बुर्द कर देंगे। अतः वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति कायम रखी जाये।

जबाब में अधिवक्ता अनावेदकगण ने कथन किया कि आवेदक ने मनगढंत प्रार्थना पत्र पेश किया है। सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं तथा भूमि की पश्चिम दिशा से आने जाने का रास्ता है। आवेदक का वाद खारिज होने योग्य है क्यों कि भूमि विवाद रहित है। अतः स्थगन आदेश दिनांक 16.11.2021 को अपास्त किया जाये।

प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न विक्रय पत्र से स्पष्ट जाहिर है कि आवेदक ने उक्त भूमि आवागमन हेतु रास्ता प्रयोजनार्थ क्रय की है तथा प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में इसी रास्ते से आवागमन कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने में किसी भी पक्षकार का हित प्रभावित होने की संभावना नहीं है जबकि वादग्रस्त भूमि के मौका व राजस्व रिकार्ड की स्थिति में बदलाव होने पर आवेदक का हित विपरित रूप से प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, सुविधा का संतुलन एवं अपार क्षति के बिंदु व आवेदक की परिस्थितियों के मध्यनजर अनावेदकगण को वाद के निस्तारण तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी राजस्व ग्राम छऊ के हाल भूमि खसरा नं. 64 की वाद के निस्तारण तक वर्तमान मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यह स्थगन आदेश बैंक ऋण, वसूली, विद्युत कनेक्शन आदि पर प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/02/25 को खुले इजलास सुनाया गया।

10/02/25

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं